न्यायालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/335/18	13—11—2018	14—11—2018

1. देशराज पुत्र ईश्वर सिंह, जाति जाट निवासी राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस0डी0ओ0) मुण्डावर, जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस0डी0ओ0) मुण्डावर, जिला अलवर दिनांक 11.11.2018

उपस्थितः—

01. श्री धर्मपाल डूडी, एवं राकेश शर्मा —वकील अपीलान्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस0डी0ओ0) मुण्डावर, जिला अलवर के आदेश दिनांक 11.11.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का आवेदन पत्र बाबत मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु, अस्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अपीलान्ट ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर का निवासी है और करीब 2 वर्ष से निवास करता है, जिसका किरायानाम भी रैस्पा0 के यहां प्रस्तुत किया गया था। अपीलान्ट का पूर्व में वोटिंग लिस्ट गुडगांव में दर्ज था और वहां से भी अपीलान्ट ने अपना नाम दिनांक 05.11.2018 को कटवा दिया। अपीलान्ट ने मतदाता सूची में अपना नाम जोडने के लिए online Application प्रपत्र—6 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के यहॉ आवेदन किया था। जबकि अपीलान्ट ने किरायानामा एवं पूर्व स्थान से उसका नाम कटवा दिया जिसकी रसीद भी पेश की है। अपीलान्ट 2 वर्ष से वर्तमान निवास स्थान पर रह रहा है, रेस्पा0 द्वारा बिना सुने ही मनमाने तरीके से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। अपीलान्ट ग्राम राजवाडा में रहा है और ग्राम पंचायत राजवाडा का प्रमाण पत्र दिनांक 02.11.18 जिस पर ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच ग्राम पंचायत राजवाडा हस्ताक्षरयुक्त का पेश किया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि अपीलान्ट ग्राम राजवाडा में वर्तमान में निवास कर रहा है। अपीलान्ट ने अपने राजवाडा तहसील मुण्डावर निवास सम्बन्धी सभी दस्तावेजात भी पेश कर दिये गये थे लेकिन रिटर्निग अधिकारी ने उक्त दस्तवेजात का अवलोकन नही किया और एक शब्द में ही खारिज कर दिया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही अपीलान्ट ने अपील अन्दर

जिला कलक्टर अलवर (राज0)

मियाद पेश की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रार्थी का नाम निर्वाचन नामावली में जुड़वाया जावें।

हमनें पत्रावली एवं तहत न्यायालय से प्राप्त दस्तावेजों का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मुण्डावर का निर्णय दिनांक 11.11.2018 ने सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार) मुण्डावर एवं दौ बूथ लेवल अधिकारी की जॉच रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, बूथ लेवल अधिकारी को प्रपत्र–6 की जॉच करने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा अधिकृत किया हुआ है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार) मुण्डावर एवं दौ बूथ लेवल अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.11.2018 में मौके पर जाकर जॉच किया जाना अंकित किया जिस पर अपीलान्ट देशराम सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह ग्राम बादशाहपुर तहसील गुडगांवा जिला गुडगांवा का निवासी है यहा ग्राम राजवाडा का पता परिवर्तित करने हेतु दिनांक 07.11.2018 को आधार कार्ड में पता परिवर्तित करने हेतु आवेदन किया किन्तु अभी तक ना तो आधार कार्ड में पता परिवर्तित होकर प्राप्त हुआ ना ही प्रार्थी के पास ग्राम राजवाडा का राशन कार्ड है। आवेदक का हरियाणा राज्य की प्रारूप मतदाता सूची विधान सभा निर्वाचक नामावली 2019 अर्हता तिथि 01.01.2019 में विधान सभा बादशाहपुर (76) की भाग संख्या 235 में मतदाता क्रमांक 1000 पर आदिनांक भी नाम अंकित है। आवेदक के पास ग्राम राजवाडा में निवासी होने का कोई प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नही है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस0डी0ओ0) प्रारूप–6 की जांच प्रोपर तरीके से नही कराई गई है। अतः अपीलान्ट का नाम वर्तमान में निवास कर रहे स्थान पर जोडना उचित समझते है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस0डी0ओ0) मुण्डावर जिला अलवर का आदेश दिनांक 11.11.18 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस0डी0ओ0) मुण्डावर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के नाम प्रारूप–6 निवास संबंधी जांच संबंधी बूथ लेवल अधिकारी से कराई जाकर एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिसम्मत् निर्णित करें। निर्णय प्रति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस0डी0ओ0) मुण्डावर को तहत रिकार्ड के साथ वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)